

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 213/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय- अम्बाबाडी, दुकान नं. सी-35-38, अम्बाबाडी, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स आदित्य कन्स्ट्रक्शन प्रोपराईटर श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र नाथ शर्मा,  
पता:- प्लॉट नं. सीडी 164, दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर  
एवं दुकान नं. 3-4, इस्कॉन, मुहाना मण्डी रोड़, गणेश नगर के सामने, मानसरोवर, सांगानेर, जयपुर  
एवं डी-222, जवाहर नगर, भरतपुर।
2. श्रीमती धीरज चौधरी पत्नी श्री उदय सिंह,  
पता:- 5, जाट मोहल्ला, ग्राम चक पपरेरा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर  
एवं मैसर्स श्री बांके बिहारी ट्रेडिंग कम्पनी, प्लॉट नं. सीडी-314, श्री दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा,  
न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर  
एवं प्लॉट नं. 38, गुलाब विहार, मुहाना रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्री राजेश पाल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह,  
पता:- पलेट नं. 403, प्लॉट नं. 157, कृष्णा सरोवर, इस्कॉन टेम्पल, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर  
एवं मैसर्स श्री बांके बिहारी ट्रेडिंग कम्पनी, प्लॉट नं. सीडी-314, श्री दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा,  
न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।
4. मैसर्स ओम स्काई राईज डवलपर्स प्रा. लि.,  
पता:- ए-88, दादूदयाल नगर, सीडी ब्लॉक, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित

The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 15.10.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती धीरज चौधरी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 38, गुलाब विहार, मुहाना रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 350.17 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक कुल राशि 200 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 200 लाख रुपये रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,36,63,454.14/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती धीरज चौधरी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 38, गुलाब विहार, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 350.17 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश दिनांक 27.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
(कलक्टर) जयपुर